



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता संख्या - 1085 वर्ष 2026

धन प्रकाश और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गिरधारी लाल शुक्ल, कुमारी अंजलि गौतम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 065 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 326(जी), 3(5) भारतीय न्याय संहिता सपठित धारा 436 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मोतीगंज, जिला गोंडा में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
3. कुछ समय तक तर्क प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वह इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर बल नहीं देना चाहते हैं और अपनी प्रार्थना को केवल इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि आवेदक को संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं ताकि उस पर विधि के अनुसार शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जा सके।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के उपरांत यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। इस प्रक्रम पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192, झंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक व अन्य (प्रस्तर-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 तथा परबतभाई अहीर व अन्य बनाम गुजरात

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राज्य एआईआर 2017 एससी 4843 के प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में केवल प्रथम दृष्टया प्रकरण ही देखा जाना है।

6. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने **अमरावती व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2004 (57) एएलआर 290** के प्रकरण में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने **लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2009 (3) एडीजे 322 (एससी)** एवं **हुसैन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, एमएनयु/एससी/0274/2017** में आपराधिक न्यायालयों को जमानत आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं। उपर्युक्त निर्णयों का सार सर्वथा स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में चूंकि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है, अतः जमानत आवेदन का निस्तारण शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

हाल ही के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या (एस) 1 वर्ष 2017, विषय: आपराधिक मुकदमों में कमियों और खामियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य में अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.04.2021 के माध्यम से आपराधिक मामलों की कार्यवाही में होने वाली सामान्य कमियों पर विचार किया है और "ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2021" को स्वीकृति प्रदान की है, जो कि उक्त नियमों के अध्याय V के नियम 17 का भाग है कि गैर-जमानती प्रकरणों में जमानत के आवेदन को सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तिथि से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। यदि आवेदन का निस्तारण उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही इसका कारण दर्ज करेंगे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके अतिरिक्त चूंकि उच्चतम न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व अन्य (विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या 5191 वर्ष 2021) में संबंधित न्यायालयों के विवेक और जमानत प्रदान करने के संबंध में शासी वैधानिक प्रावधानों को सीमित किए बिना जमानत प्रदान करने हेतु पहले ही दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए हैं, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से निर्गत आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

7. उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथनों पर विचार करते हुए, यह याचिका विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि आवेदक आज से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और जमानत हेतु आवेदन करता है, तो उसकी जमानत प्रार्थना पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जाएगा।

8. आज से 30 दिनों की अवधि हेतु या आवेदक द्वारा जमानत आवेदन दाखिल करने तक जो भी पहले हो आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

11 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।